

राजस्थान सरकार

( कायदा - 129 )

2024/164

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेंक्स फार्म नंबर 3 के  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, विजौलिया जिला - भीलवाड़ा (राज.)

किस्म मुकदमा	नंबर मुकदमा	तारीख दायर	तारीख फैसला	पेशी दिनांक
1	2	3	4	5
धारा 111-128	113/24	18/4/2024	14/5/24	2/5/2024

अनवान.

श्री स्वरूपी w/o पद्म जति बैजरा

श्री जगा ज० मुंशी जति बैजरा

निवासी दुधियाखंडी

निवासी दुधियाखंडी

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्त

अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी / रैस्पोंडेंट

डिक्रीदार

मदयून

श्री वैद्य प्रकाश तिवारी

श्री

# FORM NO. III

फर्द अहकम

(नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

बिजौलियां

र-व रूपी

कनाम

नगा

क्रिया मुकदमा -

111-128

नम्बर

118

/2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
18/5/2024	<p>प्रार्थना पत्र सीमे से वाद जांच पेश हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्राथी को नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र जारी हों। पत्रावली वास्ते तलबी/जवाब दिनांक 2/5/2024 को पेश हों।</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां</p>	
2/5/24	<p>पत्रावली पेश हुई। अभिभाक्क वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 2/5/24 को वास्ते उभर पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी</p>	
9/5/24	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्राथी उपस्थित विपक्षीगण की बाद तामील प्राप्त हुई, जिन्हें शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षीगण बाद तामील अनुपस्थित। विपक्षीगण के विरुद्ध पक्षीय कार्यवाही के आदेश जारी किए गए। पत्रावली वास्ते आदेश/निर्णय आगामी दिनांक 15/24 को पेश हों।</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी</p>	<p>उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला-भीलवाडा</p>
14/5/24	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्राथी उपस्थित पत्रावली में बर्तन खुली गई, एवं आदेश पारित किए गए, जिन्हें खुले न्यायालय में सुनाए गए। पत्रावली फंसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।</p>	<p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला-भीलवाडा</p>



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :- 113/2024

तारीख दायर 18/04/2024

स्वरूपी पत्नि पप्पू जाति बंजारा उम्र वयस्क निवासी दूदियाखेडी  
तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0

.....प्रार्थीया

बनाम्

1. जगा पिता मुंशी जाति बंजारा उम्र वयस्क निवासी दुदियाखेडी  
तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0
2. गोरू पिता मोती जाति बंजारा उम्र वयस्क निवासी धन्ना का डेरा  
तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0
3. मोहन पिता रमेश जाति कराड उम्र वयस्क निवासी सूतडा तहसील  
तालेडा बून्दी राज0

.....विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 - 128 रा0ले0रे0एक्ट

—: आदेश :-

दिनांक 14/05/2024

प्रार्थना पत्र स्वरूपी ने जरिये अभिभाषक श्री ब्रहमप्रकाश तिवाडी एडवोकेट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि मौजा ग्राम जलीन्द्री पटवार हल्का जलीन्द्री तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 431 पर अंकित आराजी संख्या 43 रकबा 0.4452 हे0, आराजी संख्या 44 रकबा 0.3237 हे0 कुल किता 2 रकबा 0.7689 हे0 भूमि स्थित है विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावेँ साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

.....निरन्तर पेज संख्या 2 पर



उप खण्ड अधिकारी  
बिजौलियाँ जिला-भीलवाडा

## पेज संख्या 2

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात की खातेदारी काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू-अभिलेख निरीक्षक बिजौलिया कलां को पत्थरगढी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। पत्थरगढी कमिश्नर फीस 500/- रूपये तय किये जाते हैं। प्रार्थी वक्त पत्थरगढी फीस अदा करेगा।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेकार्ड एक्ट स्वीकार किया जाकर मौजा ग्राम जलीन्द्री पटवार हल्का जलीन्द्री तहसील बिजौलियां की सरहद में खाता संख्या 431 पर अंकित आराजी संख्या 43 रकबा 0.4452 हे0, आराजी संख्या 44 रकबा 0.3237 हे0 कुल किता 2 रकबा 0.7689 हे0 भूमि की बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100 /- रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियां को लिखा जावे।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया

3  
उप खण्ड अधिकारी  
बिजौलियां जिला श्रीलवाडा  
बिजौलियां



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या - 113/24-  
प्रेषिति :-तहसीलदार बिजौलियाँ

तारीख दायर 18/04/2024

विषय :- प्रकरण संख्या 113/ पत्थरगढ़ी बाबत।

स्वरूपी पत्नि पप्पू जाति बंजारा उम्र वयस्क निवासी दूदियाखेडी  
तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज0

.....प्रार्थीया

बनाम्

1. जगा पिता मुंशी जाति बंजारा उम्र वयस्क निवासी दुदियाखेडी तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज0
2. गोरू पिता मोती जाति बंजारा उम्र वयस्क निवासी धन्ना का डेरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज0
3. मोहन पिता रमेश जाति क्वारा उम्र वयस्क निवासी सूतडा तहसील तालेडा बून्दी राज0

.....विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण मे आदेश होकर लेख है मौजा ग्राम जलीन्द्री पटवार हल्का जलीन्द्री तहसील बिजौलियां की सरहद में खाता संख्या 431 पर अंकित आराजी संख्या 43 रकबा 0.4452 हे0, आराजी संख्या 44 रकबा 0.3237 हे0 कुल किता 2 रकबा 0.7689 हे0 भूमि की बशमलात पडौसीयान के पत्थरगढ़ी की जावे। मौके पर पत्थरगढ़ी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढ़ी कब्जा नही हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढ़ी हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक उमाजी का खेड़ा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 500/-रूपये वक्त पत्थरगढ़ी प्रार्थीगण अदा करेगें। पत्थरगढ़ी करने से पहले विपक्षीगणों एवं पडौसियान को सूचित करते हुये पत्थरगढ़ी करें।

पत्थरगढ़ी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।



उपखण्ड अधिकारी  
बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा